भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या †1370**
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

**पंचायत अवसंरचना हेतु निधि**

**†1370.** श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री राजेश वर्मा:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती शांभवी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायत अवसंरचना को सुदृढ करने के लिए राज्य-वार कुल कितनी निधि स्वीकृत, संवितरित और उपयोग की गई है;

(ख) क्या नवनिर्मित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदत्त सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंप्यूटरों के आवंटन से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल साक्षरता में सुधार आया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों में ग्राम पंचायत कार्यालयों के निर्माण के दौरान पारिस्थितिकी-अनुकूल सामग्रियों अथवा टिकाऊ अवसंरचना निर्माण को प्राथमिकता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) 'पंचायत', राज्य का विषय होने के कारण, पंचायतों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, पंचायतों के राजस्व के अपने स्रोत आदि सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाएँ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंचायतें प्रभावी रूप से काम कर सकें।

तथापि, वर्ष 2022-23 से 2025-2026 तक कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के तहत, मंत्रालय ग्राम पंचायतों के प्रभावी कामकाज के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सीमित पैमाने पर पूरा करता है जैसे कि ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, जीपी भवनों और कंप्यूटरों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का सह-स्थापन, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्तावित किया जाता है और बाद में केंद्रीय

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों, कंप्यूटरों और सीएससी सह-स्थापन के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि का विवरण **अनुबंध-I** में है।

(ख) और (ग) ग्राम पंचायत भवन प्रभावी सेवा वितरण के लिए पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों में संस्थागत तंत्र की स्थापना और पंचायती राज संस्थान/ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अतिरिक्त, पंचायत भवनों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर का सह-स्थापन जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण में और सुधार करता है। इसी तरह, ग्राम पंचायतों के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर में कंप्यूटर की उपलब्धता पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अपने ई-एमएमपी (ई-मिशन मोड प्रोजेक्ट) के तहत विकसित विभिन्न ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर पंचायतों द्वारा ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुंच और प्रभावी काम करने की सुविधा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, त्वरित और पारदर्शी कामकाज को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय ने ई-पंचायत एमएमपी के तहत पंचायती राज संस्थानों के लिए एक ईआरपी प्लेटफार्म विकसित किया है। इस एप्लीकेशन में पंचायत के कामकाज के सभी पहलू जैसे कि ऑनलाइन भुगतान सहित एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योजना, बजट, लेखांकन, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि शामिल हैं। लगभग सभी ग्राम पंचायतें ईग्रामस्वराज के विभिन्न मॉड्यूल पर शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 2.41 लाख ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के साथ व्यय के लिए ऑनलाइन लेनदेन पूरा कर लिया है। ई-ग्रामस्वराज पर ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय के पास इस मामले पर कोई विशेष जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत कार्यालयों के निर्माण में पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों और स्थायी प्रथाओं को शामिल करना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों के अनुसार अलग-अलग है।

***

**अनुबंध -I**

**दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1370 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**पंचायत भवनों के निर्माण, कंप्यूटरों और सीएससी सह-स्थापन के लिए स्वीकृत धनराशि की स्थिति**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पंचायत भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि | | | सीएससी सह-स्थापन के लिए स्वीकृत धनराशि | | | कंप्यूटरों की खरीद | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 181.1 | 103.3 | 128.5 | 44.22 | 27 | 12.12 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | असम | 52.2 | 60.3 | 64.3 | 8.75 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.44 |
| 4 | बिहार | 100 | 56 | 27.2 | 10 | 10 | 10 | 1.07 | 1.33 | 1.34 |
| 5 | छत्तीसगढ | 6.21 | 0 | 27.15 | 7.85 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | गोवा | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | हरियाणा | 76.6 | 0 | 1.8 | 23.65 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 58.4 | 20.2 | 18.2 | 77.4 | 26.8 | 21.25 | 1.67 | 0 | 0 |
| 10 | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 10.33 |
| 11 | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | केरल | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
| 14 | महाराष्ट्र | 21.64 | 87.8 | 87.7 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 |
| 15 | मणिपुर | 4.9 | 2.2 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.41 |
| 16 | मेघालय | 6 | 6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.98 | 8.48 | 8.38 |
| 17 | मिजोरम | 49.2 | 66 | 62.6 | 2.5 | 5 | 7.4 | 2.96 | 2.96 | 2.87 |
| 18 | नागालैंड | 10.68 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 1.73 |
| 19 | ओडिशा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 |
| 20 | पंजाब | 51.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 21 | राजस्थान | 8.6 | 5.77 | 2.4 | 7.08 | 2.82 | 0.33 | 6.22 | 0 | 0 |
| 22 | सिक्किम | 4.5 | 4 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.93 | 0.25 | 0.25 |
| 23 | तमिलनाडु | 0 | 0 | 29.2 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | तेलंगाना | 135 | 20 | 26.28 | 2.4 | 3 | 7.45 | 7.25 | 9.06 | 9.08 |
| 25 | त्रिपुरा | 4.4 | 3.99 | 2.94 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 2.37 | 2.6 | 2.6 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 49.33 | 31.13 | 21.34 | 230.6 | 176.51 | 156.58 | 15.72 | 10.89 | 0 |
| 27 | उत्तराखंड | 20 | 39 | 37.9 | 5 | 10 | 8.65 | 0 | 2.5 | 13.72 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 0 | 7 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 29 | जम्मू एवं कश्मीर | 104.6 | 100 | 85.63 | 55.3 | 55.3 | 54.3 | 1.59 | 2.36 | 2.36 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 2.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 32 | लद्दाख | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.15 | 0.32 | 0.3 | 0.3 |
| **कुल** | | **947.96** | **659.59** | **650.64** | **532.41** | **350.98** | **313.23** | **57.56** | **52.5** | **75.64** |

**अनुबंध -II**

**दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1370 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या | ग्राम पंचायत शामिल | ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष | ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या | ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायत | ऑनलाइन भुगतान करने ब्लॉक पंचायतें | जिला पंचायतों की कुल संख्या | ऑनबोर्ड जिला पंचायत | ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13328 | 13296 | 12907 | 660 | 660 | 639 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2108 | 2106 | 185 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 7 |
| 3 | असम | 2662 | 2197 | 2170 | 191 | 191 | 185 | 30 | 29 | 27 |
| 4 | बिहार | 8054 | 8054 | 8044 | 534 | 534 | 529 | 38 | 38 | 38 |
| 5 | छत्तीसगढ | 11596 | 11594 | 11503 | 146 | 146 | 146 | 27 | 27 | 27 |
| 6 | गोवा | 191 | 191 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | गुजरात | 14656 | 14594 | 13666 | 248 | 248 | 248 | 33 | 33 | 33 |
| 8 | हरियाणा | 6225 | 6221 | 5829 | 143 | 143 | 131 | 22 | 22 | 22 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3615 | 3614 | 3509 | 81 | 81 | 80 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | झारखंड | 4345 | 4345 | 4317 | 264 | 264 | 262 | 24 | 24 | 23 |
| 11 | कर्नाटक | 5954 | 5954 | 5935 | 238 | 232 | 117 | 31 | 31 | 28 |
| 12 | केरल | 941 | 941 | 940 | 152 | 152 | 152 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 23011 | 23009 | 22973 | 313 | 313 | 310 | 52 | 52 | 52 |
| 14 | महाराष्ट्र | 27911 | 27834 | 26268 | 351 | 351 | 302 | 34 | 34 | 34 |
| 15 | मणिपुर | 3180 | 161 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 16 | मेघालय | 6817 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 842 | 842 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 1289 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 6794 | 6794 | 6792 | 314 | 314 | 314 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | पंजाब | 13237 | 13222 | 9173 | 152 | 151 | 110 | 22 | 22 | 19 |
| 21 | राजस्थान | 11211 | 11206 | 10739 | 361 | 353 | 351 | 33 | 33 | 33 |

| क्र.सं. | राज्य का नाम | ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या | ग्राम पंचायत शामिल | ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष | ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या | ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायत | ऑनलाइन भुगतान करने ब्लॉक पंचायतें | जिला पंचायतों की कुल संख्या | ऑनबोर्ड जिला पंचायत | ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | सिक्किम | 199 | 199 | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | तमिलनाडु | 12525 | 12525 | 12518 | 388 | 388 | 388 | 36 | 36 | 36 |
| 24 | तेलंगाना | 12771 | 12768 | 12628 | 540 | 540 | 498 | 32 | 32 | 32 |
| 25 | त्रिपुरा | 1194 | 1176 | 1162 | 75 | 75 | 75 | 9 | 9 | 8 |
| 26 | उत्तराखंड | 7795 | 7794 | 7729 | 95 | 95 | 95 | 13 | 13 | 13 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 57691 | 57691 | 57596 | 826 | 826 | 821 | 75 | 75 | 75 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 3339 | 3339 | 3338 | 345 | 345 | 345 | 22 | 21 | 21 |
| **कुल** | | **263481** | **251853** | **241156** | **8658** | **6402** | **6098** | **650** | **642** | **609** |

***